परिपत्र 39 / 2017-सीमा शुल्क

फा.सं. 466 / 32 / 2015-सीमा शुल्क V

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक, 26 सितंबर 2017

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त
सभी मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त
सभी प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त
सभी सीमा शुल्क आयुक्त

विषयः- सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली में संशोधन - अधिसूचना सं. 91/2017 (गै._टै.), दिनांक 26.09.2017

आयातित या निर्यातित माल का मूल्यांकन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 (सीवीआर) में ऐसे विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं जिनके आधार पर आयातित वस्तुओं के संव्यवहार मूल्य को निकाला जा सकता है, जिसके ऊपर सीमा शुल्क लगाया जाना है।

2. मैसर्स विप्रो लिमिटेड बनाम असिसटेंट कलैक्टर, सीमा शुल्क- 2015 (319) ईएलटी 177-एस.सी दिनांक 16.04.2015 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में इस सीवीआर के कुछ प्रावधानों पर विचार करने की आवश्यकता पैदा हो गई थी ।

2.1 अवलोकन करने और जन-परामर्श करने के पश्चात सरकार ने इस सीवीआर में अधिसूचना सं. 91/2017-सीमा शुल्क (गै. **टै.**) दिनांक 26 सितंबर, 2017 द्वारा संशोधन कर दिया है, जैसा की निचे समझाया गया है :

<u>'आयात का स्थान' पद की व्याख्या</u>

3. इस सीवाआर में 'आयात का स्थान' पद का प्रयोग किया गया है लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया था। स्पष्टता लाने के उद्देश्य से इस 'आयात का स्थान' पद को इस प्रकार परिभाषित किया जा रहा है-

"आयात का स्थान" से अभिप्राय उस सीमा शुल्क स्टेशन से है, जहां पर माल को घरेलू खपत के लिए लाया जा रहा हो या किसी गोदाम में रखने के लिए वहां से हटाया जा रहा हो ।"

3.1 उपर्युक्त परिभाषा की दृष्टि से, सीमाशुल्क अधिनियम,1962 की धारा 14 के अनुसार आयातित माल के संव्यवहार मूल्य में वह खर्च भी शामिल होगा जो कि यथा उपर्युक्त परिभाषित आयात के स्थान तक हुआ होगा ।

<u>लदान, खाली करने और अनुरक्षण प्रभार का निरूपण</u>

4 मेसर्स विप्रो लिमिटेड वनाम असिस्टेंट कलेक्टर, सीमा शुल्क-2015(319) ईएलटी 177 (एस.सी.), दिनांक 16/04/2015 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय आया है कि अवतरण प्रभार (landing charge) जिसको कि माल के मूल्य में शामिल किया जाना है, किए गए वास्तविक खर्च पर आधारित होना चाहिए, न कि 1% के काल्पनिक प्रभार पर, जैसा कि इस नियमावली में दिया गया है ।

4.1 सीवीआर में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, अब आयात के स्थान पर आयातित माल को लाने से संबन्धित लदान, खाली करने और देख-भाल प्रभार माल के सीआईएफ मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा।

4.2 संशोधित नियम 10 (2) (क) में आये "लदान, खाली करने और देख-भाल प्रभार" शब्दावली को विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 8(2) के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें लिखा है कि "पत्तन या आयात के स्थान तक आयातित माल के परिवहन का खर्च"। इस प्रकार केवल आयात के स्थान "तक" माल की डिलीवरी पर हुए खर्च (जैसे कि लदाई वाले पत्तन पर लदान या देख-भाल पर किए गए खर्च) अब संव्यवहार मूल्य में शामिल करने योग्य होंगे।

<u>भाड़ा व बीमा की गणना</u>

5. अब, नियम 10 (2) के दूसरे और चौथे परंतुक के द्वारा परिवहन और बीमा प्रभार के गणन, जब हर एक व्यक्तिगत तत्व का वास्तविक न पता हो, लेकिन एफओबी मूल्य और भाड़ा, या, एफओबी और बीमा प्रभार मालूम हो, को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है।

<u>ट्रांसशिपमेंट खर्च का निरूपण</u>

6. नियम 10 (2) के एतश्मिन पूर्व चौथे परंतुक में, जब किसी कंटेनर को पोर्ट से किसी आइसीडी या सीएफएस तक लाया जा रहा हो तो उस समय ट्रांसशिपमेंट प्रभार को माल के संव्यवहार मूल्य से अलग रखा जाता था, समुद्र या वायुयान के मार्ग से माल के ट्रांसशिपमेंट से सामान व्यवहार का कोई जिक्र नहीं था। अब नियम 10 (2) के छठे परंतुक के कारण, माल के भारत में ट्रांसशिपमेंट से संबंधित खर्च (पोर्ट से आइसीडी तक; पोर्ट से पोर्ट तक, पोर्ट से सीएफएस तक, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक आदि) को अलग रखा जाएगा, जिससे सभी प्रकार के ट्रांसशिपमेंट में एकरूपता आएगी।

7. यदि इस परिपत्र के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है।

भवदीय

(एस. कुमार)
आयुक्त (सीमाशुल्क और ईपी)